

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) वसु/मुवसं/2020-21/ 5509  
निमित्त

दिनांक :- 14-10-2020

उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़।

विषय:- Diversion of 0.016 ha. of forest land in foavour of PUBLIC  
HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT CHITTORGARH for Amrut  
Yojana(Water Supply Project for Urben Chittorgarh)  
Proposal No.(FP/RJ/WATER/35465/2018)

संदर्भ :-आपका पत्रांक एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं./2020-21/6370 दिनांक  
01.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा प्रेषित  
वांछित सूचना पूर्ण नहीं है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक  
एफ14( Water)2018/एफसीए/प्रमुवसं/2300 दिनांक 26.08.2020 (प्रति संलग्न) की  
ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त संलग्न पत्र के क्रम में चाही गयी  
वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि बिना विलम्ब  
के उच्च कार्यालय को भिजवाई जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।(किता-1)

भवदीय,

(नरेश चन्द्र चतुर्वेदी)

उप वन संरक्षक(प्रशासन)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

7/




कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14(Water)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 2300

दिनांक 26.8.2020

मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।



विषय:--Diversion of 0.016 ha. of forest land in favour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT CHITTORGARH for Amrut Yojana (Water Supply Project for Urban Chittorgarh) प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/35465/2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान के पत्र प. 1(58)वन/2020 दिनांक 31.07.2020 से प्रकरण में अतिरिक्त सूचनाएं चाही है।

1. राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 1 के क्रम में चूकि पातन करने वाले वृक्षों की संख्या 33 है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1(b) के अनुसार अधिक होने से इस प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति 1 सेट में प्रेषित करावे।
2. राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 3 के क्रम में kml file संलग्न (सी.डी.) करावे।

अतः राज्य सरकार के पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-- उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)  
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14(Water)2018/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपी:-- निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
2. अधिशाषी अभियंता, जन रवास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़ शारदी नगर, तहसील-चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़--312001

संलग्न:-- उक्तानुसार।

(पी. सी. कमावत)

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) वसु./मुवसं/2020-21/ 4806 दिनांक :- 17/9/2020

प्रतिलिपि:-- उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ को उक्त संदर्भित पत्र की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण इस कार्यालय के पत्रांक 4312 दिनांक 26.8.2020 से चाही गयी वांछित सूचना आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है। कृपया शीघ्र संलग्न:-- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश चन्द्र वतुर्वेदी)

उप वन संरक्षक, (प्रशासन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

उदयपुर।